संलग्नक-I

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 2000

2 नवंबर 2002 की जी.एस.आर.443(ई)
13 सितंबर 2004 की जी.एस.आर.609(ई)
27 अगस्त 2008 की जी.एस.आर.613(ई)
के जरिये यथा संशोधित

3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 383(ई)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 15 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय IV के तहत उल्लंघनों के कंपाउंडिंग से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् -

1. संक्षित नाम और प्रारंभ -

(1) ये नियम विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियमावली, 2000 कहलायेंगे।

(2) ये 1 जून 2000 को लागू होंगे।

2. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो -

(ए) "अधिनियम" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है;

(बी) "प्राधिकृत अधिकारी" का अर्थ नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत प्राधिकृत कोई अधिकारी है;

(सी) "आवेदक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कंपाउंडिंग प्रधिकारी को अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन आवेदन करता है

(डी) "कंपाउंडिंग आदेश" का अर्थ अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन जारी कोई आदेश है;

(ई) "फार्म" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न फार्म है;

(एफ) "धारा" का अर्थ अधिनियम की किसी धारा से है;

(जी) सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ अधिनियम में उनके अपने-अपने लिए निर्धारित किए गए अर्थ होंगे।

3. (1) "कंपाउंडिंग प्राधिकारी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है अर्थात्:

(ए) प्रवर्तन निदेशालय का कोई अधिकारी जो कम से कम उप-निदेशक अथवा उप-विधि परामर्शदाता की श्रेणी का है।

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी, जो कम-से-कम सहायक महाप्रबंधक की श्रेणी का है।

4. उल्लंघनों को कंपाउंड करने के लिए रिज़र्व बैंक के अधिकार

[1] [(1) *यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम*, 1999 (1999 *का* 42) *की धारा* 3 *के खण्ड* (ए) *को छोड़कर अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है]*

(ए) दस लाख रुपये अथवा उससे कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक द्वारा;

(बी) दस लाख रुपये से अधिक किन्तु चालीस लाख रुपये से कम के उल्लंघनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक द्वारा;

(सी) चालीस लाख रुपये से अधिक किन्तु सौ लाख रुपये से कम के उल्लंघनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक द्वारा;

(डी) एक सौ लाख रुपये अथवा उससे अधिक के उल्लंघनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा;

बशर्ते आगे ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि का परिमाण निर्धारित होने तक किसी भी उल्लंघन की कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी।

---

[1] 27 अगस्त 2008 के जीएसआर 613 (ई)

(2) उप-धारा (1) में दी गई कोई भी बात उस उल्लंघन पर लागू नहीं होंगी जो किसी व्यक्ति द्वारा उस दिनांक से तीन वर्ष के अंदर किया गया है और उस दिनांक को उसके द्वारा किए गए समान उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग की गई थी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए पूर्व में किए गए उल्लंघन की कंपाउंडिंग की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए किसी दूसरे या बाद के उल्लंघन को पहला उल्लंघन समझा जाएगा।

(3) नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रत्येक अधिकारी किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के अधिकार का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के निदेश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अधीन करेगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग का प्रत्येक आवेदन, फार्म में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के पक्ष में 5000/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के शुल्क के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, कैंद्रीय कार्यालय, मुंबई को किया जाए।

5. उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार

[2] [(1) *यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा* 3(*क*) *के प्रावधानों का उल्लंघन करता है]*

(ए) पांच लाख रुपये अथवा उससे कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक द्वारा;

(बी) पांच लाख रुपये से अधिक किन्तु दस लाख रुपये से कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अपर निदेशक द्वारा;

(सी) दस लाख रुपये से अधिक किन्तु पचास लाख रुपये से कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक द्वारा;

(डी) पचास लाख रुपये अथवा उससे अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से कम की राशि के उल्लंघनों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के उप विधि परामर्शदाता के साथ विशेष निदेशक द्वारा;

---

[2] 13 सितंबर 2004 के जीएसआर 609 (ई)

(ई) एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक राशि के उल्लंघन की स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक के साथ प्रवर्तन निदेशक द्‌वारा;

बशर्ते कि आगे ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि का परिमाण निर्धारित होने तक किसी भी उल्लंघन की कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी।

(2) उप धारा 1 में दी गई कोई भी बात उस उल्लंघन पर लागू नहीं होंगी जो किसी व्यक्ति द्‌वारा उस दिनांक से तीन वर्ष के अंदर किया गया है और उस दिनांक को उसके द्‌वारा किए गए समान उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग इन नियमों के अधीन की गई थी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए पूर्व में किए गए उल्लंघन की कंपाउंडिंग के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए दूसरे या बाद के उल्लंघन को पहला उल्लंघन समझा जाएगा।

(3) इस नियम के उप नियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रवर्तन निदेशालय का प्रत्येक अधिकारी किसी भी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए अधिकार का प्रयोग प्रवर्तन निदेशालय के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन करेंगे।

(4) इस नियम के अंतर्गत किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए प्रत्येक आवेदन कंपाउंडिंग प्राधिकारी के पक्ष में 5,000/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के शुल्क के साथ फार्म में निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली को किया जाए।

6. जहां धारा 16 के अधीन उल्लंघन के न्याय निर्णयन के पूर्व किसी उल्लंघन की कंपाउंडिंग की जाती है तो ऐसे उल्लंघन के न्याय निर्णयन के लिए ऐसे उल्लंघन के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच पड़ताल नहीं की जाएगी जिसके उल्लंघन की इस तरह् कंपाउंडिंग की गई है।

7. जहां धारा 16 की उप-धारा (3) के अधीन शिकायत करने के बाद किसी उल्लंघन की कंपाउंडिंग की जाती है तो ऐसे कंपाउंडिंग की सूचना नियम 4 और 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्‌वारा निर्णायक प्राधिकारी को लिखित रूप में दी जाए तथा उल्लंघन के कंपाउंडिंग की ऐसी सूचना देने पर उस व्यक्ति, जिसके संबंध में उल्लंघन की इस तरह् का कंपाउंडिंग किया गया है, को मुक्त कर दिया जाएगा।

8. कंपाउंडिंग करने की प्रक्रिया

(1) कंपाउंडिंग प्राधिकारी, कंपाउंडिंग प्रक्रिया से संबंधित कोई भी सूचना, रिकार्ड या संबंधित दस्तावेज की मांग कर सकता है।

(2) कंपाउंडिंग प्राधिकारी यथासंभव शीघ्रता से सभी संबंधितों की सुनवाई करने के बाद आवेदन की तारीख से अधिक से अधिक 180 दिनों के अंदर कंपाउंडिंग के आदेश जारी करेगा।

9. कंपाउंड की गई राशि का भुगतान

[3] नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन कंपाउंडिंग के आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उस राशि को जिसके लिए उल्लंघन का कंपाउंडिंग किया जाता है, ऐसे उल्लंघन के कंपाउंडिंग के आदेश की तारीख से 15 दिनों के अंदर कंपाउंडिंग प्राधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अदा की जाएगी।

10. उस नियम में विनिर्दिष्ट समय के अंदर नियम 9 के अनुसार कंपाउंडिंग की गई राशि का भुगतान करने में किसी व्यक्ति के चूक जाने के मामले में यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने इन नियमों के अंतर्गत किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया है तथा उल्लंघन के लिए अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू होंगे।

11. यदि अपील अधिनियम की धारा 17 अथवा 19 के अधीन दायर(फाइल) की गई है तो उल्लंघन के लिए कोई कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी।

12. कंपाउंडिंग प्राधिकारी के आदेश की विषयवस्तु

(1) प्रत्येक आदेश में कथित उल्लंघन के ब्योरों के साथ अधिनियम के उन प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियम, निदेश अथवा शर्त अथवा आदेश को विनिर्दिष्ट करेंगे जिसके संबंध में उल्लंघन हुआ है।

(2) ऐसे प्रत्येक आदेश पर कंपाउंडिंग प्रधिकारी के हस्ताक्षर उसकी सील और दिनांक के साथ होंगे।

13. आदेश की प्रति

नियम 8(2) के अंतर्गत दिए गए आदेश की एक प्रति आवेदक और निर्णायक प्रधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को दी जाएगी।

---

[3] 2 नवंबर 2002 के जीएसआर 443 (ई)